



बैठक सूचना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

Email-faforest144@gmail.com Ph.No. 0141-2700086

क्रमांक एफ 1() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुखसं/

दिनांक : 07.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय/FCA/कैम्पा जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/विभागीय कार्य जयपुर।
वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुखसं, राज. जयपुर।

विषय:- ऑडिट समिति वर्ष 2020-21 की द्वितीय बैठक दिनांक 31.03.2021 की कार्यवाही विवरण की क्रियान्विती की प्रगति के संबंध में बैठक बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन विभाग की ऑडिट समिति की वर्ष 2021-22 की प्रथम बैठक इसी माह सम्भावित है। जिसके क्रम में ऑडिट समिति वर्ष 2020-21 की द्वितीय बैठक दिनांक 31.03.2021 के कार्यवाही विवरण में अंकित बिन्दुओं की क्रियान्विती के संबंध में दिनांक 15.07.2021 को दोपहर 3:15 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक रखी गई है। अपने एवं अधीनस्थ कार्यालय की नवीनतम प्रगति इस कार्यालय की ई-मेल आईडी **faforest144@gmail.com** पर भिजवावे एवं साथ ही वरिष्ठतम लेखाकर्मी/कार्मिक को उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने हेतु पाबंद करावें।

विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिये मिटिंग लिंक एवं पिन नम्बर ई-मेल जरिये भिजवाये जायेंगे।

बैठक दिनांक 15.07.2021 के लिए विचारार्थ कार्य सूची

(एजेण्डा नोट):-

- 1 जन लेखा समिति प्रतिवेदन
- 2 सीएजी (विनियोग लेखे एवं आर्थिक क्षेत्र राज्य वित्त)
- 3 ड्राफ्ट पैरा/तथ्यात्मक विवरण
- 4 गबन प्रकरण
- 5 चोरी/हानि प्रकरण
- 6 निदेशक निरीक्षण विभाग, विशेष जांच

भवदीय

(डॉ. देवराज)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग

राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 09.07.2021

क्रमांक एफ 1() 2018-19/ऑडिट समिति/प्रमुखसं/ 2106-07

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप वन संरक्षक, आई.टी. शाखा, अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करे।
2. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि समस्त वनाधिकारियों हेतु विभागीय ई-मेल/बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान जयपुर।